



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 18, 2011/माघ 29, 1932

No. 91]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 18, 2011/MAGHA 29, 1932

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 103(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आर्थिक सेवा (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये 6 जनवरी, 2011 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 में, अनुसूची-I के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

**“अनुसूची I
(नियम 5 का उपनियम (1) देखें)**

सेवा में विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत संख्या

क्रम संख्यांक	श्रेणी	पदनाम	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ड्यूटी पद		
(1)	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी + (शीर्ष वेतनमान) (80,000 ₹0 नियत)	प्रधान सलाहकार या समतुल्य	5
(2)	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (67,000 ₹0 वार्षिक वेतनवृद्धि 3 % की दर पर 79000 ₹0)	ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार या समतुल्य	15
(3)	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (वेतनबैंड - 4, 37,400 - 67000 + ग्रेड वेतन 10,000 ₹0)	आर्थिक सलाहकार या समतुल्य	89
(4)	अकृतिक चयन श्रेणी (वेतनबैंड - 4, 37,400 - 67000 + ग्रेड वेतन 8700 ₹0)	अपर आर्थिक सलाहकार या निदेशक या समतुल्य	ज्येष्ठ ड्यूटी पदों का 30 % (अर्थात् ज्येष्ठ समय वेतनमान और ऊपर के पद)
(5)	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (वेतनबैंड - 3, 15600 - 39100 + ग्रेड वेतन 7600 ₹0)	उप आर्थिक सलाहकार या संयुक्त निदेशक या समतुल्य	146
(6)	वरिष्ठ समय वेतनमान (वेतन बैंड 3 : 15,600-39,100 ₹0 धन ग्रेड वेतन 6600 ₹0)	सहायक आर्थिक सलाहकार या उप निदेशक या समतुल्य	111
(7)	कनिष्ठ समय वेतनमान (वेतनबैंड - 3, 15600 - 39100 + ग्रेड वेतन 5400 ₹0)	अनुसंधान अधिकारी या सहायक निदेशक या समतुल्य	105
		कुल ड्यूटी पद	471
II	आरक्षित		40
		कुल प्राधिकृत संख्या	511

टिप्पण : (1) भारतीय आर्थिक सेवा के 1981, 1982, 1983 और 1984 के बैचों के अकृतिक चयन श्रेणी अधिकारियों के 48 पद प्रोन्नत अधिकारियों के सेवानिवृत्त हो जाने तक या भारतीय आर्थिक सेवा में स्वीकृत ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी पदों के अंतर्गत आ जाने तक ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उन्नत किए गए हैं, उसके पश्चात् पद वापस अकृतिक चयन श्रेणी स्तर पर चले जाएंगे ।

(2) जब कभी, राज्य या संयुक्त काडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को केन्द्र में वेतन बैंड 3 या वेतन बैंड 4 में विशिष्ट श्रेणी वेतन वाले किसी विशेष श्रेणी में तैनात किया जाता है तो सेवा के बैचों के ऐसे अधिकारियों को जो दो वर्ष से या अधिक ज्येष्ठ हैं और जिन्हे उस विशिष्ट श्रेणी में अभी तक प्रोन्नत नहीं किया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को केन्द्र में उस विशेष श्रेणी में तैनाती की तारीख से अकृतिक आधार पर समान श्रेणी दी जाएगी ।”।

3. भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 में, अनुसूची II के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

“अनुसूची-II
(नियम 5 का उपनियम (2) देखें)

भारतीय आर्थिक सेवा के लिए ड्यूटी पदों का विवरण

क्र.सं	मंत्रालय या विभाग	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या + (प्रधान सलाहकार या समतुल्य) (80,000-रु0 नियत)	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या (ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार या समतुल्य (67000 - (वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%)- 79000 रु0)	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या (आर्थिक सलाहकार या समतुल्य) (वेतन बैंड 4 : 37,400- 67,000 रु0 धन ग्रेड वेतन: 10,000 रु0)	अकृत्यिक चयन श्रेणी / कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या (अपर आर्थिक सलाहकार, निदेशक या उप आर्थिक सलाहकार, संयुक्त निदेशक या समतुल्य) (वेतन बैंड - 4 : 37,400 - 67,000 रु0 धन ग्रेड वेतन : 8700 रु0)/(वेतन बैंड - 3 : 15,600 - 39100 रु0 धन ग्रेड वेतन 7600 रु0)	ज्येष्ठ समय वेतनमान में पदों की संख्या (सहायक आर्थिक सलाहकार/ उपनिदेशक या समतुल्य (वेतन बैंड - 3 : 15600 - 39100 रु0 धन ग्रेड वेतन 6600 रु0)	कनिष्ठ वेतनमान में पदों की संख्या (अनुसंधान अधिकारी या सहायक निदेशक या समतुल्य) (वेतन बैंड - 3 : 15,600 - 39,100 रु0 धन ग्रेड वेतन 5400 रु0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	वित्त मंत्रालय						
(क)	आर्थिक कार्य विभाग		1	7	16	17	8
(ख)	व्यय विभाग				3	1	1
(ग)	राजस्व विभाग		1				
(घ)	वित्तीय सेवाएं विभाग			1	2		
(ङ)	विनिवेश विभाग			1	1		

2.	कारपोरेट मंत्रालय			1	2	1	2
3.	कृषि मंत्रालय						
(क)	कृषि और सहकारिता विभाग	1		2	1	1	1
(ख)	आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय		1	5	9	6	9
(ग)	कृषि मूल्य और लागत आयोग			2	2	2	4
(घ)	पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग			1			
4.	ग्रामीण विकास मंत्रालय						
(क)	ग्रामीण विकास विभाग		1	1	3	3	4
(ख)	पेय जल प्रदाय विभाग			1			
(ग)	भूमि संसाधन विभाग			1			
5.	खाद्य वितरण और उपभोक्ता मामले मंत्रालय						
(क)	उपभोक्ता मामले विभाग	1		1	2	4	
(ख)	अग्रिम व्यापार आयोग			2	1	3	5
(ग)	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग			1			
6.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		1	1	1	1	2
7.	पोत परिवहन मंत्रालय			1		1	
8.	आसूचना ब्यूरो गृह मंत्रालय			1	1		
9.	शहरी विकास मंत्रालय			1	1		
10.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय						
(क)	मुख्य मंत्रालय			1			
(ख)	राष्ट्रीय निर्माण संगठन				1	1	2

11.	श्रम और रोजगार मंत्रालय						
(क)	मुख्य मंत्रालय	1		2	2	5	7
(ख)	श्रम ब्यूरो		1	1	3	5	5
12.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय						
(क)	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग				1	1	1
(ख)	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय	1		3	2	4	3
(ग)	टैरिफ आयोग			2	2	2	4
(घ)	वाणिज्य विभाग			3	5	3	4
(ङ)	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय				4	2	
13.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय						
(क)	मुख्य मंत्रालय			2	1	1	
(ख)	विकास आयुक्त का कार्यालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम			3	2	6	6
14.	जल संसाधन मंत्रालय						
(क)	मुख्य मंत्रालय			1	1		
(ख)	केन्द्रीय जल आयोग						1
15.	योजना आयोग						
(क)	मुख्य आयोग	1	2	10	39	15	20
(ख)	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन				11	15	8
16.	संचार और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय						
(क)	दूरसंचार विभाग		1	1	1		
(ख)	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग		1		1	1	
17.	विद्युत मंत्रालय						
(क)	मुख्य मंत्रालय			1			
(ख)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण			1	2		

6435711-2

18.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		1	1	1		
19.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				1	1	
20.	वस्त्र मंत्रालय						
(क)	मुख्य मंत्रालय			1	1		1
(ख)	जूट आयुक्त कोलकाता					1	1
(ग)	वस्त्र आयुक्त मुम्बई					1	
(घ)	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)				1		1
21.	रेल मंत्रालय		1	1	1	1	
22.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय						
(क)	उच्चतर शिक्षा विभाग			1	1		
(ख)	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग			1	1		
23.	महिला और बाल विकास मंत्रालय		1	1	1	1	
24.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			1	2		
25.	इस्पात मंत्रालय			1			1
26.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय						
(क)	रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग			1	1		
(ख)	उर्वरक विभाग			1			
(ग)	फार्मास्यूटिकल विभाग			1	1		
(घ)	राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्यांकन प्राधिकरण				1		
27.	पर्यावरण और वन मंत्रालय		1	1	1	1	1
28.	नागर विमानन मंत्रालय						
(क)	मुख्य मंत्रालय			1			

(ख)	नागर विमानन महानिदेशालय					1	
29.	पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्रालय						
(क)	मुख्य मंत्रालय			1	1		
(ख)	पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय			2	1		
30.	आर्थिक और सांख्यिकी महानिदेशालय, गोवा				1		
31.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	1		1	1	1	
32.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			1			1
33.	जनजातीय कार्य मंत्रालय			1		1	
34.	कोयला मंत्रालय			1			1
35.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय						
(क)	लोक उद्यम विभाग			1	1		
(ख)	भारी उद्योग विभाग			1	1		
36.	पर्यटन मंत्रालय			1	1		
37.	खान मंत्रालय			1			
38.	पंचायती राज मंत्रालय			1	1	1	
39.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय			1			
40.	नयी और पुनः नवीनी योग्य ऊर्जा मंत्रालय			1			
41.	संसदीय कार्य मंत्रालय						1
42.	अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय				1		
	कुल योग	5	15	89	146	111	105

टिप्पण :-

(1) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के कुल पदों में से ज्येष्ठ ड्यूटी पदों का 30 % अर्थात् ज्येष्ठ समय वेतनमान (ग्रेड III) और ऊपर के अकृत्यिक चयन श्रेणी (वेतन बैंड - 4 : 37,400-67,000 रु0 धन ग्रेड वेतन : 8,700 रु0) में होंगे जिनका पद नाम अपर आर्थिक सलाहकार या निदेशक या समतुल्य है।

(2) व्यक्ति मंत्रालयों या विभागों में कतिपय पदों के पदनाम संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा संगठनात्मक अवसंरचना और कार्य की प्रकृति से उद्भूत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संबद्ध मंत्रालय या विभाग द्वारा अधिसूचित किए जा सकेंगे।

(3) भारतीय आर्थिक सेवा के 1981, 1982, 1983 और 1984 के बैंचों के अकृत्यिक चयन श्रेणी अधिकारियों के 48 पद प्रोन्नत अधिकारियों के सेवानिवृत्त हो जाने तक या भारतीय आर्थिक सेवा में स्वीकृत ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी पदों के अंतर्गत आ जाने तक ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उन्नत किए गए हैं, उसके पश्चात् पद वापस अकृत्यिक चयन श्रेणी स्तर पर चले जाएंगे।

(4) जब कभी, राज्य या संयुक्त काडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को केन्द्र में वेतन बैंड 3 या वेतन बैंड 4 में विशिष्ट श्रेणी वेतन वाले किसी विशेष श्रेणी में तैनात किया जाता है तो सेवा के बैंचों के ऐसे अधिकारियों को जो दो वर्ष से या अधिक ज्येष्ठ हैं और जिन्हें उस विशिष्ट श्रेणी में अभी तक प्रोन्नत नहीं किया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को केन्द्र में उस विशेष श्रेणी में तैनाती की तारीख से अकृत्यिक आधार पर समान श्रेणी दी जाएगी।

[फा. सं. 11015/1/2009-आ.ई.एस.]

राजन कुमार, सलाहकार

टिप्पण : भारतीय आर्थिक सेवा, नियम, 2008 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 435(अ), तारीख 6 जून, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती अधिसूचना सं. सा.का.नि. 648 तारीख 10 सितंबर, 2008, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 753(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2008, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 350(अ), तारीख 22 मई, 2009, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 376(अ), तारीख 1 जून, 2009, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 377(अ), तारीख 1 जून, 2009, अधिसूचना सं. 831(अ), तारीख 18 नवंबर, 2009, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2010 और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 82(अ) तारीख 16 फरवरी, 2010 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2011

G.S.R. 103(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Economic Service Rules, 2008, namely :-

1. (1) These rules may be called the Indian Economic Service (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 6th day of January, 2011.

2. In the Indian Economic Service Rules, 2008 for Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely :-

“SCHEDULE – I
(See sub-rule (1) of rule 5)

AUTHORISED STRENGTH OF THE VARIOUS GRADES IN THE SERVICE

Sl. No.	Grade	Designation	Strength
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Duty Posts		
(1)	Higher Administrative Grade + (Apex Scale) (₹ 80,000 fixed)	Principal Adviser or equivalent	5
(2)	Higher Administrative Grade (₹ 67,000- (annual increment @3%)- ₹ 79,000)	Senior Economic Adviser or equivalent	15
(3)	Senior Administrative Grade (Pay Band-4: ₹ 37,400-67,000 plus Grade Pay: ₹ 10,000)	Economic Adviser or equivalent	89
(4)	Non-Functional Selection Grade (Pay Band-4: ₹ 37,400-67,000 plus Grade Pay: ₹ 8,700)	Additional Economic Adviser or Director or equivalent	30% of senior duty posts (i.e. posts in Senior Time Scale and above)
(5)	Junior Administrative Grade (Pay Band-3: ₹ 15,600-39,100 plus Grade Pay: ₹ 7,600)	Deputy Economic Adviser or Joint Director or equivalent	146
(6)	Senior Time Scale (Pay Band-3: ₹ 15,600-39,100 plus Grade Pay: ₹ 6,600)	Assistant Economic Adviser or Deputy Director or equivalent	111
(7)	Junior Time Scale (Pay Band-3: ₹ 15,600-39,100 plus Grade Pay: ₹ 5,400)	Research Officer or Assistant Director or equivalent	105
		Total Duty posts	471
II.	Reserves		40
		Total authorized strength	511

Notes –

- (1) 48 posts of Non Functional Selection Grade officers belonging to 1981, 1982, 1983 and 1984 batches of Indian Economic Service are upgraded to the Senior Administrative Grade till such time the promoted officers either retire or are covered within the sanctioned Senior Administrative Grade posts in Indian Economic Service, after which the posts shall slide back to the Non Functional Selection Grade level.
- (2) Whenever an Indian Administrative Service officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific grade pay in Pay Band 3 or Pay Band 4, the officers belonging to batches of the Service that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade shall be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officer in that particular grade at the Centre”.
3. In the Indian Economic Service Rules, 2008 for Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely :-

“SCHEDULE – II
(See sub-rule (2) of rule 5)

STATEMENT OF DUTY POSTS FOR THE INDIAN ECONOMIC SERVICE

Sl. No.	Ministry or Department	Number of posts at Higher Administrative Grade + (Principal Adviser or equivalent) (₹ 80,000 fixed)	Number of posts at Higher Administrative Grade (Senior Economic Adviser or equivalent) (₹ 67,000- (annual increment @3%)- ₹ 79,000)	Number of posts at Senior Administrative Grade (Economic Adviser or equivalent) (Pay Band-4: ₹ 37,400-67,000 plus Grade Pay: ₹ 10,000)	Number of posts at Non-Functional Selection Grade/Junior Administrative Grade (Additional Economic Adviser, Director or Deputy Economic Adviser, Joint Director or equivalent) (Pay Band-4: ₹ 37,400-67,000 plus Grade Pay: ₹ 8,700)/ (Pay Band-3: ₹ 15,600-39,100 plus Grade Pay: ₹ 7,600)	Number of posts at Senior Time Scale (Assistant Economic Adviser/Deputy Director or equivalent) (Pay Band-3: ₹ 15,600-39,100 plus Grade Pay: ₹ 6,600)	Number of posts at Junior Time Scale (Research Officer or Assistant Director or equivalent) (Pay Band-3: ₹ 15,600-39,100 plus Grade Pay: ₹ 5,400)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Ministry of Finance						
(a)	Department of Economic Affairs		1	7	16	17	8
(b)	Department of Expenditure				3	1	1
©	Department of Revenue		1				
(d)	Department of Financial Services			1	2		
(e)	Department of Disinvestment			1	1		
2.	Ministry of Corporate Affairs			1	2	1	2
3.	Ministry of Agriculture						
(a)	Department of Agriculture and Cooperation	1		2	1	1	1
(b)	Directorate of Economics and Statistics		1	5	9	6	9
(c)	Commission for Agricultural Costs and Prices			2	2	2	4
(d)	Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			1			
4.	Ministry of Rural Development						
(a)	Department of Rural Development		1	1	3	3	4
(b)	Department of Drinking Water Supply			1			
(c)	Department of Land Resources			1			
5.	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution						
(a)	Department of Consumer Affairs	1		1	2	4	
(b)	Forward Markets Commission			2	1	3	5
(c)	Department of Food & Public Distribution			1			
6.	Ministry of Road Transport & Highways		1	1	1	1	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Ministry of Shipping			1		1	
8.	Intelligence Bureau (Ministry of Home Affairs)			1	1		
9.	Ministry of Urban Development			1	1		
10.	Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation						
(a)	Main Ministry			1			
(b)	National Building Organization				1	1	2
11.	Ministry of Labour and Employment						
(a)	Ministry proper	1		2	2	5	7
(b)	Labour Bureau		1	1	3	5	5
12.	Ministry of Commerce and Industry						
(a)	Department of Industrial Policy and Promotion				1	1	1
(b)	Office of the Economic Adviser	1		3	2	4	3
(c)	Tariff Commission			2	2	2	4
(d)	Department of Commerce			3	5	3	4
(e)	Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics				4	2	
13.	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises						
(a)	Ministry proper			2	1	1	
(b)	Office of the Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises)			3	2	6	6
14.	Ministry of Water Resources						
(a)	Ministry proper			1	1		
(b)	Central Water Commission						1
15.	Planning Commission						
(a)	Commission proper	1	2	10	39	15	20
(b)	Programme Evaluation Organization				11	15	8
16.	Ministry of Communications and Information Technology						
(a)	Department of Telecommunications		1	1	1		
(b)	Department of Information Technology		1		1	1	
17.	Ministry of Power						
(a)	Ministry proper			1			
(b)	Central Electricity Authority			1	2		
18.	Ministry of Petroleum and Natural Gas		1	1	1		
19.	Ministry of Statistics and Implementation				1	1	

6435/11-4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.	Ministry of Textiles						
(a)	Ministry proper			1	1		1
(b)	Jute Commissioner, Kolkata					1	1
(c)	Textile Commissioner, Mumbai					1	
(d)	Development Commissioner (Handicrafts)				1		1
21.	Ministry of Railways		1	1	1	1	
22.	Ministry of Human Resource Development						
(a)	Department of Higher Education			1	1		
(b)	Department of School Education and Literacy			1	1		
23.	Ministry of Women and Child Development		1	1	1	1	
24.	Ministry of Health and Family Welfare			1	2		
25.	Ministry of Steel			1			1
26.	Ministry of Chemicals and Fertilizers						
(a)	Department of Chemicals and Petrochemicals			1	1		
(b)	Department of Fertilizers			1			
(c)	Department of Pharmaceuticals			1	1		
(d)	National Pharmaceutical Pricing Authority				1		
27.	Ministry of Environment and Forests		1	1	1	1	1
28.	Ministry of Civil Aviation						
(a)	Ministry proper			1			
(b)	Directorate General of Civil Aviation					1	
29.	Ministry of Development of North Eastern Region						
(a)	Ministry proper			1	1		
(b)	North Eastern Council Secretariat			2	1		
30.	Directorate of Economics and Statistics, Goa				1		
31.	Ministry of Information and Broadcasting		1	1	1	1	
32.	Ministry of Social Justice and Empowerment			1			1
33.	Ministry of Tribal Affairs			1		1	
34.	Ministry of Coal			1			1
35.	Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises						
(a)	Department of Public Enterprises			1	1		
(b)	Department of Heavy Industry			1	1		
36.	Ministry of Tourism			1	1		
37.	Ministry of Mines			1			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38.	Ministry of Panchayati Raj			1	1	1	
39.	Ministry of Overseas Indian Affairs			1			
40.	Ministry of New and Renewable Energy			1			
41.	Ministry of Parliamentary Affairs						1
42.	Ministry of Minority Affairs				1		
	Grand Total	5	15	89	146	111	105

Notes :-

- (1) Of the total posts at the Junior Administrative Grade, 30% of senior duty posts, i.e. posts in Senior Time Scale (Grade III) and above will be in the Non-Functional Selection Grade (Pay Band-4: ₹ 37,400-67,000 plus Grade Pay: ₹ 8,700), with designation being Additional Economic Adviser or Director or equivalent.
- (2) The designation of certain posts in individual Ministries or Departments may be notified by the Ministry or Department concerned keeping in view the specific requirements arising from the organizational structure and nature of work in the respective Ministry or Department.
- (3) 48 posts of Non Functional Selection Grade officers belonging to 1981, 1982, 1983 and 1984 batches of Indian Economic Service are upgraded to the Senior Administrative Grade till such time the promoted officers either retire or are covered within the sanctioned Senior Administrative Grade posts in Indian Economic Service, after which the posts shall slide back to the Non Functional Selection Grade level.
- (4) Whenever an Indian Administrative Service officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific grade pay in Pay Band 3 or Pay Band 4, the officers belonging to batches of the Service that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade shall be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officer in that particular grade at the Centre".

[F.No. 11015/1/2009-IES]

RAJAN KUMAR, Adviser

Note – The Indian Economic Service Rules, 2008 were published in the Gazette of India, *vide*, notification number G.S.R. 435(E), dated the 6th June, and subsequently amended, *vide*, notification number G.S.R. 648(E), dated the 10th September, 2008, notification number G.S.R. 753(E), dated the 24th October, 2008, notification number G.S.R. 350(E), dated the 22nd May, 2009, notification number G.S.R. 376(E), dated the 1st June, 2009, notification number G.S.R. 377(E), dated the 1st June, 2009, notification number G.S.R. 831(E), dated the 18th November, 2009, notification number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2010 and notification number G.S.R. 82(E), dated the 16th February, 2010.